



फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सज्जन कुमार बनाम सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर व अन्य

प्रकरण संख्या : 110/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

क्रांक आझा कार्यवाही	आझा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
2.08.2024	<p>दरख्वास्तगुजार ने सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर के समक्ष वाद संख्या 51/2020(35/1998) ब-उनवानी सज्जन कुमार बनाम गिरीश कुमार व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर से बिन्दुवार टिप्पणी तलब हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड हो। नोटिस लिपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो। पञ्चवती दिनांक 09.09.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   जिला कलक्टर  जयपुर </p>	
3.9.24	<p>पञ्चवती पेश हुई। वकील प्रार्थी उपास्थित हैं। वकील प्रार्थी ने अवगत कराया है कि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर की पीठासीन अधिकारी श्रीमती श्यामा राठौड़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर की पीठासीन अधिकारी श्रीमती श्यामा राठौड़ आर ए. एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रा० पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infertuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पञ्चवती नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">   ( डॉ० जितेंद्र कुमार सोनी )  जिला कलक्टर  जयपुर </p>	